



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 21, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. ड्राफ्ट CAFE 3 मानक: ऑटोमोटिव डीकार्बोनाइजेशन के लिए भारत का प्रयास	2
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) रुझान: भारत बनाम उभरते बाजार के समकक्ष	4
3. ग्रामीण मुद्रास्फीति में वृद्धि: व्यापक-आधारित गतिशीलता और प्रभाव	5
4. केरल चर्च एफआरसीआर संशोधन विधेयक पर चिंताओं को दोहराता है	7
5. कोर सेक्टर की वृद्धि: कोर इंडस्ट्रीज (ICI) श्रृंखला का अद्यतन सूचकांक	8
6. न्यायिक क्षमता का विस्तार: उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026	10
7. विनियामक मील का पत्थर: भारत के पहले डेंगू टीके (QDENGGA) के लिए DCGI की मंजूरी	11
8. स्वदेशीकरण का पूंजीकरण: रक्षा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन और बाजार की चुनौतियां	13
9. भारत-कनाडा रणनीतिक रक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारी	14
10. भारत में संरचनात्मक मुद्रास्फीति: लागत-पुश बनाम मांग-पुल गतिशीलता	16

1. ड्राफ्ट CAFE 3 मानक: ऑटोमोटिव डीकार्बोनाइजेशन के लिए भारत का प्रयास

मुख्य बातें और सारांश

- **तीसरे चरण का रोलआउट:** विद्युत मंत्रालय ने ड्राफ्ट कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) 3 मानक का अनावरण किया, जो 1 अप्रैल, 2027 से 2032 तक लागू होने वाले हैं।
- **कोर फ्लीट मैकेनिक्स:** व्यक्तिगत वाहन उत्सर्जन सीमाओं (BS-VI) के विपरीत, CAFE किसी ऑटोमेकर की बिक्री फ्लीट के औसत कार्बन डाइऑक्साइड (\$CO_2\$) उत्सर्जन को लक्षित करता है, जिससे क्रमिक रूप से कम कार्बन तीव्रता अनिवार्य हो जाती है।
- **विस्तृत दायरा:** दोपहिया वाहनों तक CAFE जैसी दक्षता आवश्यकताओं को बढ़ाने की योजना चल रही है, जिससे ईवी (EV), सीएनजी (CNG) और हाइब्रिड सेगमेंट में पावरट्रेन विविधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।
- **लचीलेपन के साधन:** अनुपालन तंत्र में 'सुपर-क्रेडिट्स' (शून्य/कम-उत्सर्जन वाहनों की बहु-गणना) और निर्माताओं के बीच संभावित क्रेडिट-ट्रेडिंग फ्रेमवर्क शामिल हैं।
- **बाजार गतिशीलता:** कड़े लक्ष्य संभवतः उच्च-उत्सर्जन डीजल मॉडल को चरणबद्ध

What's new in the draft CAFE-III norms? | Explained 💡

The latest draft leaves most of the April proposal unchanged, suggesting the government has broadly stuck to the compromise it arrived at after months of intense negotiations between manufacturers of small cars and larger SUVs.

तरीके से बाहर कर देंगे, बहु-ईंधन तकनीक को अपनाने में तेजी लाएंगे, और मूल्य-संवेदनशील खंडों में मामूली मूल्य समायोजन का नेतृत्व करेंगे।

- **दंड संरचना:** गैर-पालन करने पर बेची गई प्रत्येक गैर-अनुपालक इकाई पर ₹25,000 से ₹50,000 तक के परिवर्तनीय जुर्माने के साथ ₹10 लाख का फ्लैट जुर्माना लगता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **CAFE (कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी):** एक विनियामक तंत्र जो किसी वित्तीय वर्ष में निर्माता द्वारा बेचे गए सभी वाहनों के भारित औसत पर उत्पादित कुल \$CO_2\$ उत्सर्जन पर ऊपरी सीमा लक्ष्य निर्धारित करता है।
- **सुपर क्रेडिट्स:** विनियामक प्रोत्साहन जहां स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों (जैसे, ईवी, स्ट्रॉंग हाइब्रिड) को एक से अधिक गुणक सौंपा जाता है, जिससे ऑटोमेकर पारंपरिक आईसीई (ICE) वाहनों से होने वाले उच्च उत्सर्जन की भरपाई करने में मदद मिलती है।
- **पावरट्रेन:** घटकों का पूरा समूह जो ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसे सड़क की सतह तक पहुंचाता है, जिसमें इंजन, ट्रांसमिशन, ड्राइवशाफ्ट और डिफरेंशियल शामिल हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001:** धारा 14 के तहत, विद्युत मंत्रालय (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से) के पास मोटर वाहनों के लिए ईंधन खपत मानक निर्धारित करने का वैधानिक अधिकार है।
- **मोटर वाहन अधिनियम, 1988:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को वाहन पंजीकरण और प्रकार-अनुमोदन नियमों के माध्यम से अनुपालन और दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने में सक्षम बनाता है।
- **संवैधानिक आधार:**
 - **अनुच्छेद 21:** स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991)।
 - **अनुच्छेद 48A (DPSP):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का आदेश देता है।
 - **अनुच्छेद 51A(g):** नागरिकों पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का मौलिक कर्तव्य लगाता है।

निष्कर्ष

ड्राफ्ट CAFE 3 मानक साधारण टेलपाइप उत्सर्जन नियंत्रण से व्यापक फ्लीट डीकार्बोनाइजेशन की ओर एक महत्वपूर्ण संक्रमण को चिह्नित करते हैं। कड़े जलवायु प्रतिबद्धताओं को उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ संतुलित करना मजबूत क्रेडिट-ट्रेडिंग प्रोटोकॉल, घरेलू बैटरी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और अनुमानित नीति समर्थन पर निर्भर करेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

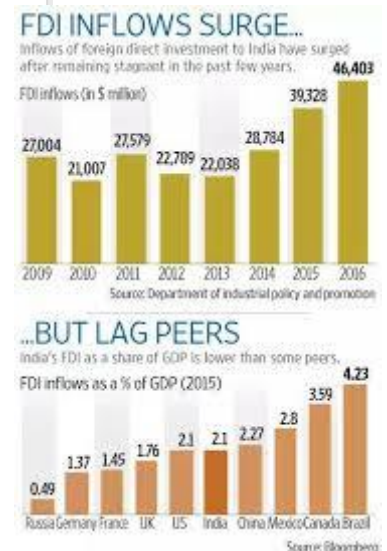
- **जीएस पेपर II:** वैधानिक निकाय (BEE), औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

- **जीएस पेपर III:** पर्यावरण और पारिस्थितिकी (जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, COP26 पंचामृत लक्ष्य), बुनियादी ढांचा (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी), और आर्थिक विकास।

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) रुझान: भारत बनाम उभरते बाजार के समकक्ष

मुख्य बातें और सारांश

- **एफडीआई प्रवाह में उछाल:** लगातार दो साल की गिरावट के बाद 2025 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में 44% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो \$38.9 बिलियन तक पहुंच गया।
- **उप-शिखर सुधार:** तेज सुधार के बावजूद, कुल पूंजी प्रवाह महामारी से पहले के स्तर (जो 2020 में \$60 बिलियन से अधिक पहुंच गया था) से नीचे बना हुआ है, जो आगे की वृद्धि की गुंजाइश को दर्शाता है।
- **उभरते बाजार के समकक्ष विश्लेषण:** 2025 में, चीन \$104.7 बिलियन के साथ प्रमुख उभरते बाजारों में सबसे आगे था, इसके बाद ब्राजील (\$76.9 बिलियन) और मैक्सिको (\$40.9 बिलियन) का स्थान रहा, जबकि इंडोनेशिया (\$21.4 बिलियन) से आगे भारत चौथे स्थान (\$38.9 बिलियन) पर रहा।
- **आपूर्ति श्रृंखला गतिशीलता:** 'चाइना प्लस वन' रणनीति जैसे रणनीतिक आंदोलन और लैटिन अमेरिका में नियरशोरिंग के रुझान उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को फिर से वितरित करना जारी रखते हैं।
- **वैश्विक रिपोर्ट बेंचमार्क:** वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) डेटा के अनुसार, सीमा पार इक्विटी पूंजी विकसित हो रही वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थितियों को दर्शाती है।
- **विकास प्रक्षेपवक्र:** हालांकि नए सिरे से निवेशक का विश्वास स्पष्ट है, लेकिन पहले के चरम प्रवाह को पार करने के लिए त्वरित संरचनात्मक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विस्तार और विनिर्माण प्रोत्साहन की आवश्यकता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** एक अर्थव्यवस्था में निवासी इकाई द्वारा किसी अन्य अर्थव्यवस्था में काम कर रहे उद्यम में स्थायी हित और महत्वपूर्ण प्रबंधन नियंत्रण (आमतौर पर 10% या अधिक मतदान अधिकार) हासिल करने के लिए किया गया सीमा पार निवेश।
- **स्वचालित मार्ग:** FDI नीति के तहत एक प्रवेश मार्ग जहां विदेशी निवेशकों को भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- **सरकारी मार्ग:** पूंजी लगाने से पहले संबंधित मंत्रालय या सरकारी विभाग से अनिवार्य पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता वाला निवेश मार्ग।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** RBI और केंद्र सरकार को विदेशी पूंजी प्रवाह, इक्विटी निवेश और विदेशी मुद्रा होल्डिंग्स को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाने वाला प्राथमिक कानून।
- **समेकित FDI नीति:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय कैप और प्रवेश मार्गों का विवरण देते हुए तैयार और अद्यतन की जाती है।
- **संवैधानिक आधार:**
 - **सातवीं अनुसूची (संघ सूची):** प्रविष्टि 36 (विदेशी मुद्रा) और प्रविष्टि 41 (विदेशी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य) संसद को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पूंजी विनियमन पर विशेष विधायी अधिकार प्रदान करते हैं।
 - **अनुच्छेद 301:** विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए एक एकीकृत विनियामक बाजार प्रदान करते हुए, देश भर में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

2025 में भारत का एफडीआई रिबाउंड वैश्विक आर्थिक पुनर्संतुलन के बीच मजबूत अंतर्निहित व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों को रेखांकित करता है। इस गति का लाभ उठाने के लिए विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, रसद प्रतिस्पर्धा में सुधार करने और घरेलू औद्योगिक क्षमता को गहरा करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

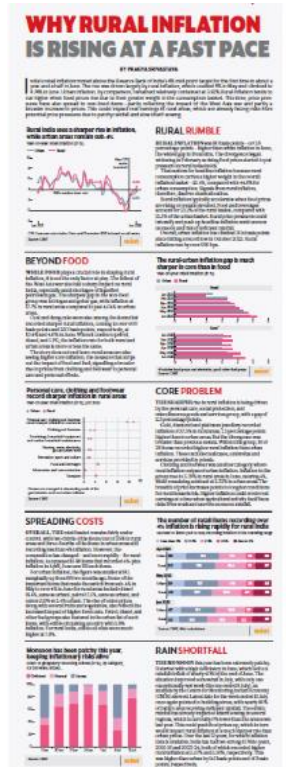
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (संसाधनों का संचलन, विदेशी व्यापार, निवेश मॉडल और औद्योगिक नीति)।
- **जीएस पेपर II:** महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान (UNCTAD) और राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाले वैश्विक आर्थिक विकास।

3. ग्रामीण मुद्रास्फीति में वृद्धि: व्यापक-आधारित गतिशीलता और प्रभाव

मुख्य बातें और सारांश

- **लक्ष्य का उल्लंघन:** भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4% के मध्य-बिंदु लक्ष्य को पार कर गई, जो शहरी केंद्रों में 3.92% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 4.74% तक पहुंच गई।
- **बढ़ता ग्रामीण-शहरी अंतर:** जून में ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति का अंतर बढ़कर 80 आधार अंक (0.8 प्रतिशत अंक) हो गया, जो 18 महीनों में इसका सबसे चौड़ा विचलन है।

- **व्यापक मूल्य दबाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में 4% से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज करने वाली वस्तुओं में अप्रैल में 88 से तेजी से वृद्धि हुई और जून में 119 हो गई, जो बुनियादी खाद्य पदार्थों से परे व्यापक मूल्य दबाव का संकेत देती है।
- **गैर-खाद्य मुद्रास्फीति चालक:** बढ़ती वैश्विक ऊर्जा और भू-राजनीतिक घर्षण ने व्यक्तिगत देखभाल (व्यक्तिगत देखभाल/कपड़े का अंतर 2.3%), ईंधन (डीजल 8.4% पर, पेट्रोल 7.5% पर), और पारंपरिक ग्रामीण ईंधन जैसे गोबर गैस (17.7%) और कोयला (10.4%) में लागत में वृद्धि को ट्रिगर किया।
- **उच्च बास्केट वजन:** ग्रामीण मुद्रास्फीति समग्र राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बास्केट में 55.4% का प्रमुख भार रखती है, जिससे ग्रामीण मूल्य के रुझान मुख्य मौद्रिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
- **मानसून जोखिम:** जुलाई के मध्य तक लगभग 80% भूमि क्षेत्र में वर्षा की कमी का सामना करने वाले एक कम मानसून ने खरीफ की बुवाई को 6% तक कम कर दिया है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति को बनाए रखने का खतरा पैदा हो गया है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **हेडलाइन मुद्रास्फीति:** खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं सहित एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति माप, जिसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) के माध्यम से की जाती है।
- **कोर मुद्रास्फीति:** मुद्रास्फीति का एक अंतर्निहित उपाय जो अस्थिर घटकों, विशेष रूप से भोजन, बिजली, गैस और पारंपरिक ईंधन समूहों को बाहर करता है, ताकि दीर्घकालिक मूल्य रुझानों को कैप्चर किया जा सके।
- **खरीफ बुवाई घाटा:** मानसून-निर्भर फसलों (जैसे, चावल, दालें, तिलहन) के लिए खेती के भूमि क्षेत्र में देरी या कमी, जो सीधे आगे के खाद्य आपूर्ति गतिशीलता को प्रभावित करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934:** धारा 45ZA केंद्र सरकार को, RBI के परामर्श से, हर पांच साल में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य (+/-2% सहिष्णुता बैंड के साथ 4%) निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाती है।
- **मौद्रिक नीति समिति (MPC):** धारा 45ZB के तहत गठित, वैधानिक छह सदस्यीय समिति मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत बेंचमार्क दर निर्धारित करती है।
- **संवैधानिक आधार:**
 - **अनुच्छेद 38 (DPSP):** राज्य को सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने और क्षेत्रों में आय, स्थिति और क्रय शक्ति में असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है।
 - **सातवीं अनुसूची (संघ सूची):** प्रविष्टि 45 (बैंकिंग) और प्रविष्टि 48 (स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार) मौद्रिक नियमों पर संसद को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि आपूर्ति-पक्ष की मानसून की कमजोरियों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा स्पिलओवर दोनों को दर्शाती है। ग्रामीण क्रय शक्ति की रक्षा के लिए लक्षित आपूर्ति-शृंखला हस्तक्षेप, कृषि नीति सहायता और विवेकपूर्ण मौद्रिक निरीक्षण की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (मुद्रास्फीति प्रबंधन, मौद्रिक नीति समिति ढांचा, फसल बुवाई के पैटर्न और मानसून निर्भरता)।
- **जीएस पेपर II:** ग्रामीण आर्थिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा जाल को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

4. केरल चर्च एफआरसीआर संशोधन विधेयक पर चिंताओं को दोहराता है

मुख्य बातें और सारांश

- **प्रस्तावित विधेयक पर आपत्तियां:** केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (KCBC) ने संसद में पेश होने वाले प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक के संबंध में गहरी आशंकाएं व्यक्त की हैं।
- **मौजूदा अनुपालन की पर्याप्तता:** चर्च के नेतृत्व ने तर्क दिया कि मौजूदा विनियामक ढांचे, नई दिल्ली में आरबीआई (RBI) की विशेष शाखाएं, और वार्षिक आयकर रिटर्न फाइलिंग पहले से ही विदेशी फंडों की पारदर्शी ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हैं।
- **राज्य अधिग्रहण प्रावधान:** KCBC ने उन खतरनाक खंडों को चिह्नित किया जिनमें कहा गया है कि यदि कोई इकाई दान विवरण जमा करने में विफल रहती है या अपना लाइसेंस सरेण्डर कर देती है, तो विदेशी योगदान का उपयोग करके बनाई गई संपत्तियों को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।
- **आनुपातिकता संबंधी चिंताएं:** चर्च ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्कूल और अस्पताल जैसे संस्थागत परिसंपत्तियों का निर्माण अक्सर मुख्य रूप से (80% तक) स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है, जिससे मामूली गैर-अनुपालन के लिए पूर्ण सरकारी अधिग्रहण अनुचित हो जाता है।
- **व्यक्तिगत खाते के माध्यम से रूटिंग नहीं:** प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि सभी चर्च संस्थान उपयोग की आवश्यकताओं को लगन से पूरा करते हुए, व्यक्तिगत खातों के बजाय आधिकारिक चैनलों के माध्यम से फंड प्राप्त करते हैं।
- **संसदीय सदस्यों से अपील:** KCBC ने संसद में विधेयक पेश किए जाने पर केरल के संसद सदस्यों से कड़े प्रावधानों का विरोध करने का आग्रह करते हुए औपचारिक पत्र प्रस्तुत किए।

Kerala Catholic Church reiterates concerns over FCRA amendment Bill

Kerala Catholic Bishops' Council says existing laws and income tax returns enable monitoring of proper utilisation of foreign funds; urges MPs from State to oppose Bill if introduced in Parliament

The Hindu Bureau

It was in the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020, is scheduled to be presented in the ongoing Monsoon Session of Parliament, the Catholic Church leadership in Kerala reiterated concerns over the legislation on Monday.

The Kerala Catholic Bishops' Council (KCBC) said that the Church's apprehensions over the bill had not been cleared, adding that it did not receive any foreign contribution through personal accounts.

KCBC spokesperson Fr. Thomas Tharayil told The Hindu that existing laws were fully capable of monitoring the proper utilisation of foreign funds. "The reality is that the Church is not receiving foreign funds in any personal accounts. All funds are received through the RBI special branch in New Delhi. Those receiving the funds



Upon meeting most church has earlier assured that the FCRA Bill will not be applied retrospectively. (I.A. Prasad)

need to file utilisation details. Also, income tax returns need to be submitted every year. The government can easily verify the utilisation and details of the total money received through IT returns' verification," said Fr. Tharayil.

'Unmet promise' The KCBC spokesperson said when the bill was announced during the Assembly election period, Bharatiya Janata Party leaders in Kerala had promised that they would intervene to address the concerns raised by the Church.

"But after the Assembly election, no BJP leader in Kerala contacted the Church leadership on the issue. During a recent meeting the Catholic Bishops' Conference of India representatives had with Union Home Minister Amit Shah, the Minister only gave an assurance that the FCRA Bill would not have a retroactive effect. We don't know how that assurance will work, and we will get the details only after the original content of the Bill

is out," said Fr. Tharayil. The KCBC has already submitted letters to all Opposition MPs from Kerala, demanding that they oppose the bill when it is presented in Parliament. "We hope the MPs from Kerala will raise their voice against the bill," he said.

'Harming classes' The KCBC also noted that some classes in the bill are alarming.

"If an organisation fails to submit details of a foreign donation or decides to stop receiving foreign donations, the bill states that the building constructed using those funds will go to the government. But the reality is that, for the construction of hospitals or schools, 80% of the funding comes from local resources, with only the remaining 20% supported by such properties. Such provisions are raising serious concerns," said Fr. Tharayil.

आवश्यक परिभाषाएं

- **विदेशी योगदान:** किसी विदेशी स्रोत द्वारा किसी भी मुद्रा, सुरक्षा या वस्तु (निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर व्यक्तिगत उपयोग के लिए दिए गए उपहारों को छोड़कर) का कोई भी दान, वितरण या स्थानांतरण।
- **एफसीआरए (FCRA) पंजीकरण:** गृह मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य अनुमति जो गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और धार्मिक/धर्मार्थ संस्थानों को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
- **गैर-सरकारी संगठन (NGO):** जनता के भले के समर्थन में मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित एक गैर-लाभकारी, स्वैच्छिक नागरिकों का समूह।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010:** राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और आंतरिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है।
- **प्रवर्तन एजेंसी:** गृह मंत्रालय (MHA) FCRA नियमों के तहत पंजीकरण, नवीनीकरण और अनुपालन के लिए प्राथमिक निगरानी प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- **संवैधानिक आधार:**
 - **अनुच्छेद 26:** धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव और संपत्ति का अधिग्रहण शामिल है।
 - **अनुच्छेद 19(1)(c):** नागरिकों के संघ या संघ बनाने के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है।
 - **अनुच्छेद 300A:** स्थापित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, जिससे मनमाने राज्य अधिग्रहण के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष

वैधानिक सुधारों में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को प्रशासनिक स्वायत्तता और संस्थागत संपत्ति के संवैधानिक अधिकारों के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है। अवैध वित्तीय प्रवाह पर अंकुश लगाते हुए वैध धर्मार्थ गतिविधियों की सुरक्षा के लिए आनुपातिक दंड के साथ विनियामक निगरानी को सामंजस्यपूर्ण बनाना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग—एनजीओ (NGOs), एसएचजी (SHGs), और धार्मिक/धर्मार्थ संघों की भूमिका।
- **जीएस पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा, धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग), और सीमा पार वित्तीय प्रवाह को नियंत्रित करने वाले नियामक तंत्र।

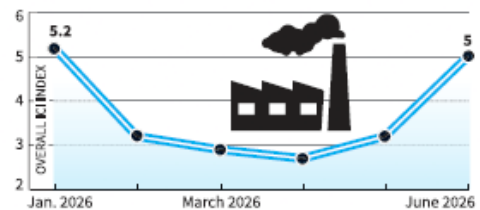
5. कोर सेक्टर की वृद्धि: कोर इंडस्ट्रीज (ICI) श्रृंखला का अद्यतन सूचकांक

मुख्य बातें और सारांश

- **पांच महीने की उच्च वृद्धि:** भारत के कोर औद्योगिक क्षेत्रों में जून 2026 में 5% की वृद्धि हुई, जो पांच महीनों में सबसे तेज विस्तार है।
- **आधार वर्ष अद्यतन:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करते हुए कोर इंडस्ट्रीज (ICI) की एक नई श्रृंखला शुरू की है।
- **नौ क्षेत्रों तक विस्तार:** औद्योगिक उत्पादन में अपनी गहन भूमिका के कारण लौह अयस्क को औपचारिक रूप से नौवें क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है।
- **लौह अयस्क में उछाल:** सांख्यिकीय आधार प्रभाव से महत्वपूर्ण लाभ उठाते हुए, जून 2026 में सूचकांक के भीतर लौह अयस्क ने 43.9% की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।
- **मिश्रित क्षेत्रीय रुझान:** बिजली (9.8%), सीमेंट (9.8%), स्टील (4.6%), और कोयला (1.4%) ने वृद्धि दर्ज की, जबकि हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों में संकुचन हुआ।
- **पद्धतिगत ओवरहाल:** नई श्रृंखला स्टील के लिए सकल उत्पादन डेटा का उपयोग करती है और दोहरी गिनती को रोकने के लिए केवल कच्चे कोयले को बनाए रखती है।

Sharp uptick

The Index of Core Industries grew by 5% in June 2026 compared with June 2025



आवश्यक परिभाषाएं

- **कोर इंडस्ट्रीज सूचकांक (ICI):** आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT द्वारा संकलित प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापने वाला एक मासिक उत्पादन सूचकांक।
- **आधार प्रभाव:** पिछले वर्ष की तुलना अवधि के संबंधित आंकड़े का प्रभाव, जहां एक असामान्य रूप से कम ऐतिहासिक आधार प्रतिशत वृद्धि दरों को फुला देता है।
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):** एक निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापने वाला संकेतक।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT):** औद्योगिक सूचकांकों और डेटा को प्रकाशित करने के लिए प्राथमिक नोडल प्राधिकरण के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होता है।
- **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008:** नीति निर्माण के लिए औद्योगिक, आर्थिक और प्रशासनिक डेटा एकत्र करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को वैधानिक प्राधिकरण प्रदान करता है।
- **संवैधानिक आधार:**
 - **सातवीं अनुसूची (संघ सूची):** प्रविष्टि 52 (संघ द्वारा विनियमित उद्योग) और प्रविष्टि 54 (खान और खनिज विकास) संसद को औद्योगिक नीतियों और खनिज संसाधनों की देखरेख करने के लिए सशक्त बनाते हैं।
 - **अनुच्छेद 39(b) (DPSP):** राज्य नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करता है कि सामग्री संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण आम भलाई की सेवा के लिए वितरित किया जाए।

ICI श्रृंखला का विजुअल अवलोकन

निष्कर्ष

ICI श्रृंखला को 2022-23 आधार वर्ष में अद्यतन करना यह सुनिश्चित करता है कि व्यापक आर्थिक संकेतक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक बदलावों को सटीक रूप से कैप्चर करें। घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करने और कच्चे माल के उत्पादन को बनाए रखने पर बहुत अधिक निर्भर करेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (औद्योगिक विकास, कोर इंडस्ट्रीज का सूचकांक, IIP, बुनियादी ढांचा क्षेत्र, और आर्थिक नियोजन)।
- **जीएस पेपर II:** वैधानिक और नियामक निकाय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत प्रशासनिक तंत्र।

6. न्यायिक क्षमता का विस्तार: उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन

विधेयक, 2026

मुख्य बातें और सारांश

- **विधार्थ कार्रवाई:** केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक कार्यकारी अध्यादेश को बदलने के लिए लोकसभा में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया।
- **बढ़ी हुई स्वीकृत संख्या:** इस विधेयक का उद्देश्य भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करना है।
- **मामले के बैकलॉग को कम करना:** संरचनात्मक विस्तार का उद्देश्य बढ़ती लंबित मामलों के समाधान को संबोधित करना है, जिससे शीर्ष अदालत को संचित मामलों का अधिक कुशलता से निपटान करने में सक्षम बनाया जा सके।
- **संविधान पीठों को सुविधाजनक बनाना:** एक बड़ी बेंच क्षमता CJI को नियमित अपीलीय सुनवाई को बाधित किए बिना जटिल संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई के लिए अधिक बार संविधान पीठों का गठन करने की अनुमति देगी।
- **ऐतिहासिक विकास:** 1950 में शुरू में 8 न्यायाधीशों की एक बेंच की स्थापना (1 CJI + 7 अन्य न्यायाधीश), संसद ने बढ़ते डॉकेट से मेल खाने के लिए समय-समय पर न्यायाधीश की ताकत का विस्तार किया है (जैसे, 2009 में 31 और 2019 में 34)।
- **वित्तीय आवंटन:** सचिवालय सहायता के साथ चार अतिरिक्त न्यायिक पदों के सृजन से भारत की समेकित निधि से वार्षिक आवर्ती व्यय होगा।



आवश्यक परिभाषाएं

- **स्वीकृत संख्या:** किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट में सेवा करने के लिए संसद द्वारा अधिकृत न्यायाधीशों की अधिकतम वैधानिक सीमा।
- **संविधान पीठ:** संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े मामलों तय करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित पांच या अधिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक बेंच।
- **डॉकेट विस्फोट:** आने वाले मुकदमों और अपीलों की मात्रा में एक महत्वपूर्ण वृद्धि जो अदालत के मामले-निपटान क्षमता से आगे निकल जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार न्यायिक बैकलॉग होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 124(1):** सामान्य कानून के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बदलने के लिए संसद को सशक्त बनाता है। उच्च न्यायालयों के विपरीत (जहां कार्यकारी आदेश के तहत अनुच्छेद 216 द्वारा न्यायाधीश की ताकत तय की जाती है), सुप्रीम कोर्ट की ताकत को बदलने के लिए साधारण बहुमत से पारित संसदीय कानून की आवश्यकता होती है।
- **उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956:** शीर्ष अदालत में अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम सीमा को विनियमित करने वाला प्राथमिक वैधानिक ढांचा।
- **संवैधानिक आधार:**
 - **अनुच्छेद 21:** त्वरित सुनवाई का अधिकार और समय पर न्याय वितरण को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक मौलिक पहलू के रूप में मान्यता दी गई (हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य)।
 - **अनुच्छेद 130:** न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीटों के रूप में अन्य स्थानों को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश को अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

बेंच की वैधानिक शक्ति को बढ़ाकर 38 न्यायाधीश करना बढ़ते मामले के बैकलॉग से निपटने और न्याय वितरण में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपाय है। हालांकि, दीर्घकालिक दक्षता के लिए पूरक प्रक्रियात्मक सुधारों, लिस्टिंग के युक्तिसंगतकरण और न्यायिक रिक्तियों को तेजी से भरने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** कार्यकारी और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज; अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के संबंध में संवैधानिक प्रावधान; न्यायिक पेंडेंसी और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित मुद्दे।

7. विनियामक मील का पत्थर: भारत के पहले डेंगू टीके (QDenga) के लिए DCGI की मंजूरी

मुख्य बातें और सारांश

- **पहला डेंगू टीका स्वीकृत:** ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने ताकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स के QDenga (TAK-003) को बाजार प्राधिकरण प्रदान किया, जो भारत का पहला स्वीकृत डेंगू टीका है।
- **लक्ष्य जनसांख्यिकी और प्रोटोकॉल:** 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत, यह पूर्व-टीकाकरण जांच की आवश्यकता के बिना तीन महीने के अंतराल पर प्रशासित दो-खुराक आहार का पालन करता है।
- **शासी विनियामक नियम:** ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स (NDCT) नियम, 2019 के फॉर्म CT-20 के तहत मंजूरी दी गई थी।
- **टेट्रावैलेंट कवरेज:** लाइव-एटेनुएटर वैक्सीन सभी चार डेंगू वायरस सेरोटाइप (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) में सुरक्षा प्रदान करता है।
- **उच्च रोग का बोझ:** तेजी से शहरीकरण और जलवायु कारकों के कारण, 2025 में 113,000 से अधिक मामले दर्ज करते हुए, भारत में वैश्विक डेंगू के मामलों का लगभग एक तिहाई हिस्सा है।
- **स्वदेशी पाइपलाइन:** पनासिया बायोटेक, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन इम्युनोलॉजिक्स के घरेलू वैक्सीन उम्मीदवार उन्नत नैदानिक परीक्षण चरणों में बने हुए हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **जीवित-क्षीण (Live-Attenuated) टीका:** स्वस्थ व्यक्तियों में गंभीर बीमारी पैदा किए बिना मजबूत और टिकाऊ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हुए, एक रोगजनक की virulence (घातकता) को कम करके बनाया गया टीका।
- **टेट्रावैलेंट टीका:** एक ही रोगजनक के चार अलग-अलग वायरल उपभेदों या सेरोटाइप से बचाने के लिए एक साथ तैयार किया गया टीका।
- **वेक्टर जनित रोग:** मच्छरों, टिक्स और प्यूस्सू जैसे वेक्टर द्वारा मानव और जानवरों में फैलने वाले संक्रमण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और नियम, 1945:** गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है।
- **नई ड्रग्स और क्लिनिकल परीक्षण (NDCT) नियम, 2019:** CDSCO द्वारा निगरानी की जाने वाली नई दवाओं, प्रायोगिक नई दवाओं और नैदानिक परीक्षण प्रोटोकॉल के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
- **संवैधानिक आधार:**
 - **अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार और जीवन रक्षक निवारक देखभाल तक पहुंच शामिल है (पंजाब राज्य बनाम राम लुभाया बग्गा)।
 - **अनुच्छेद 47 (DPSP):** राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का निर्देश देता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्राथमिक कर्तव्य लगाता है।

QDENGGA की मंजूरी भारत में वेक्टर जनित खतरों के खिलाफ लक्षण-आधारित प्रबंधन से निवारक टीकाकरण की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। न्यायसंगत पहुंच स्वदेशी विनिर्माण भागीदारी, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में टीके को एकीकृत करने पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी - स्वास्थ्य और चिकित्सा में विकास और अनुप्रयोग; जैव प्रौद्योगिकी (वैक्सीन प्लेटफॉर्म, पुनः संयोजक तकनीक)।
- **जीएस पेपर II:** सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां, स्वास्थ्य सुरक्षा में सरकारी हस्तक्षेप, और CDSCO/DCGI जैसी नियामक निकायों की वैधानिक भूमिका।

8. स्वदेशीकरण का पूंजीकरण: रक्षा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन और बाजार की चुनौतियां

मुख्य बातें और सारांश

- **बाजार बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन:** निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने 2026 में साल-दर-साल लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की, जो व्यापक निफ्टी 50 इंडेक्स से काफी आगे निकल गया, जिसने 8% का संकुचन दर्ज किया था।
- **विशाल खरीद स्वीकृतियां:** FY24 और FY26 के बीच, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 'बाय इंडियन-IDDM' और 'बाय एंड मेक (इंडियन)' फ्रेमवर्क पर भारी ध्यान केंद्रित करते हुए लगभग ₹16.6 ट्रिलियन के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- **निर्यात विस्तार प्रक्षेपवक्र:** पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों और वैश्विक मांग से प्रेरित होकर, भारत का रक्षा निर्यात FY26 में ₹384 बिलियन तक पहुंच गया, जिसका लक्ष्य FY29 तक ₹500 बिलियन है।
- **मजबूत ऑर्डर बुक:** डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) मध्यम अवधि की राजस्व दृश्यता प्रदान करते हुए 2x और 10x के बीच मजबूत ऑर्डर बुक-टू-रेवेन्यू अनुपात बनाए रखती हैं।
- **निष्पादन प्रतिमान बदलाव:** जैसे-जैसे बाजार का मूल्यांकन बढ़ता है, निवेशक का ध्यान ऑर्डर जीत से हटकर समय पर ऑर्डर निष्पादन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और आय रूपांतरण पर केंद्रित हो रहा है।
- **आत्मनिर्भरता:** बढ़ी हुई वैश्विक अस्थिरता ने कच्चे माल, ड्रोन प्रौद्योगिकी, गोला-बारूद और पूर्ण-पैमाने के सैन्य प्लेटफॉर्मों में स्थानीयकरण के प्रयासों में तेजी लाई है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **बाय इंडियन-IDDM:** रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत प्राथमिक खरीद श्रेणी जो कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देती है।

- **ऑर्डर बुक-टू-रेवेन्यू अनुपात:** भविष्य के परिचालन पैमाने और निष्पादन पाइपलाइन का संकेत देते हुए, वार्षिक राजस्व के मुकाबले कंपनी के कुल लंबित ऑर्डर बुक मूल्य को मापने वाला एक वित्तीय मीट्रिक।
- **रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC):** सशस्त्र बलों के लिए पूंजी अधिग्रहण और नीति दिशानिर्देशों के लिए जिम्मेदार रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP), 2020:** पूंजी खरीद के लिए शासी विनियामक नीति जो स्वदेशी सामग्री के सीमा को लागू करती है और घरेलू रक्षा विनिर्माण को सुव्यवस्थित करती है।
- **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट सैन्य हार्डवेयर और घटकों पर क्रमिक आयात प्रतिबंध लगाने वाली रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वैधानिक सूचनाएं।
- **संवैधानिक आधार:**
 - **सातवीं अनुसूची (संघ सूची):** प्रविष्टि 1 (भारत की रक्षा), प्रविष्टि 2 (नौसेना, सैन्य और वायु सेना), और प्रविष्टि 2(A) राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा उत्पादन पर संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्रदान करते हैं।
 - **अनुच्छेद 296 और संपत्ति शक्तियां:** सैन्य बुनियादी ढांचे और रणनीतिक औद्योगिक परिसंपत्तियों के लिए राज्य के अनुबंधों और खरीद के संबंध में कार्यकारी अधिकार को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

रक्षा इकटिटी में उछाल संरचनात्मक सुधारों को दर्शाता है जो भारत को एक प्रमुख हथियार आयातक से एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल रहे हैं। इस गति को बनाए रखने के लिए निष्पादन बाधाओं को पार करने, घरेलू अनुसंधान एवं विकास (R&D) तीव्रता को बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** सुरक्षा चुनौतियां और रक्षा औद्योगिक आधार; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक का विकास; अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर उदारीकरण के प्रभाव।
- **जीएस पेपर II:** वैधानिक, नियामक और निर्णय लेने वाले निकाय (DAC, रक्षा मंत्रालय) और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नीति निर्माण।

9. भारत-कनाडा रणनीतिक रक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारी

मुख्य बातें और सारांश

- **रक्षा नीति धुरी:** CANSEC 2026 में बोलते हुए, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने युद्ध की उभरती तकनीकों के कारण कनाडाई सशस्त्र बलों के पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान और पुनर्निवेश की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की।

- **रक्षा खर्च के लक्ष्य:** कनाडा मार्च 2026 में अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2% से अधिक के रक्षा खर्च पर पहुंच गया और 2035 तक 5% तक पहुंचने की राह पर है।
- **उन्नत संस्थागत संबंध:** दोनों देशों ने ओटावा और दिल्ली में रक्षा सलाहकारों को मान्यता दी, एक समर्पित रक्षा संवाद स्थापित किया, और RIMPAC और टालिसमैन सेबर जैसे बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया।
- **सह-विकास और औद्योगिक संबंध:** कनाडा की रक्षा निवेश एजेंसी और रक्षा औद्योगिक रणनीति उप-प्रणाली निर्माण, सह-विकास और एयरोस्पेस नवाचार में भारत जैसे भागीदारों को शामिल करना चाहती है।
- **एयरोस्पेस और अंतरिक्ष तालमेल:** यह साझेदारी भारत के कम लागत वाले लॉन्च प्लेटफॉर्म और नौसैनिक रक्षा पहलों के साथ-साथ कनाडा की उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकियों (जैसे, RADARSAT) का लाभ उठाती है।
- **महत्वपूर्ण खनिज सहयोग:** क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन पर 2026 के समझौता ज्ञापन के तहत, भारत का लक्ष्य कनाडा से कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, टंगस्टन और यूरेनियम की आपूर्ति सुरक्षित करना है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **महत्वपूर्ण खनिज:** गैर-ईंधन खनिज तत्व (जैसे, कोबाल्ट, लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी) जो उच्च तकनीक विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय रक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक हैं।
- **उप-प्रणाली निर्माण:** विशेष मॉड्यूलर घटकों का उत्पादन जो बड़े सैन्य या एयरोस्पेस प्लेटफॉर्मों में एकीकृत होते हैं।
- **RADARSAT तारामंडल प्रणाली:** पृथ्वी अवलोकन, समुद्री डोमेन जागरूकता और पर्यावरण निगरानी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कनाडाई सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) उपग्रह मिशन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** विदेशी व्यापार को नियंत्रित करता है और रणनीतिक रक्षा उपकरण और दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियों के आयात के लिए वैधानिक तंत्र प्रदान करता है।
- **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962:** अंतरराष्ट्रीय परमाणु सहयोग, नागरिक परमाणु आपूर्ति समझौतों और ऊर्जा सुरक्षा के लिए यूरेनियम आयात के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **संवैधानिक आधार:**
 - **अनुच्छेद 51(c) (DPSP):** राज्य को एक-दूसरे के साथ संगठित लोगों के लेन-देन में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
 - **सातवीं अनुसूची (संघ सूची):** प्रविष्टि 1 (भारत की रक्षा), प्रविष्टि 10 (विदेशी मामलों), और प्रविष्टि 14 (विदेशी देशों के साथ संधियों और समझौतों में प्रवेश करना) संसद में विशेष शक्ति निहित करते हैं।

निष्कर्ष

भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों में पुनर्संरखण संयुक्त रक्षा निर्माण, महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग की ओर एक रणनीतिक धुरी का प्रतीक है। कनाडा की औद्योगिक परिसंपत्तियों को भारत के विनिर्माण पैमाने के साथ एकीकृत करना क्षेत्रीय सुरक्षा और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक टिकाऊ आधार प्रदान करता है।

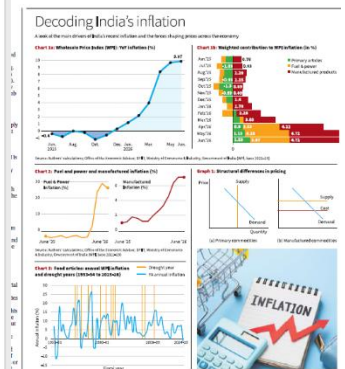
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **जीएस पेपर III:** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, सुरक्षा चुनौतियाँ, और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन।

10. भारत में संरचनात्मक मुद्रास्फीति: लागत-पुश बनाम मांग-पुल गतिशीलता

मुख्य बातें और सारांश

- **WPI मुद्रास्फीति में उछाल:** कुल मांग के गर्म होने के बजाय मुख्य रूप से ईंधन, बिजली और निर्मित उत्पादों से प्रेरित होकर, भारत का थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति 10% की ओर बढ़ गई।
- **कालेस्किनन मूल्य निर्धारण तंत्र:** पोलिश अर्थशास्त्री मिशाल कालेस्की का संरचनात्मक ढांचा बताता है कि प्राथमिक वस्तु की कीमतें मांग-निर्धारित होती हैं, जबकि औद्योगिक कीमतें उत्पादन लागत पर लाभ मार्कअप के माध्यम से लागत-निर्धारित होती हैं।
- **लागत-पुश संचरण:** बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों ने घरेलू ईंधन लागत को सीधे तौर पर बढ़ाया, जो बाद में विनिर्माण क्षेत्र में उच्च इनपुट लागत के रूप में पारित हुआ।
- **आपूर्ति-आघात खाद्य मुद्रास्फीति:** कृषि मुद्रास्फीति आपूर्ति-पक्ष के झटकों से प्रेरित थी - विशेष रूप से अल नीनो के कारण होने वाले कम मानसून पैटर्न - न कि शिफ्ट होने वाले उपभोक्ता मांग वक्रों से।
- **प्रतिचक्रीय कर नीति:** ईंधन पर शुल्क कटौती की वापसी ने मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया; उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क शुल्क बफर को बहाल करने से लागत-पुश झटकों को कम किया जा सकता है।
- **सिंचाई पूंजीगत व्यय:** प्राथमिक खाद्य कीमतों के दीर्घकालिक स्थिरीकरण के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे में मजबूत निवेश के माध्यम से जलवायु परिवर्तनशीलता से कृषि को अलग करने की आवश्यकता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **कालेस्किनन संरचनात्मकवाद:** एक आर्थिक सिद्धांत जो यह मानता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में कीमतें लागत प्लस एक निश्चित मार्कअप द्वारा तय की जाती हैं, जबकि प्राथमिक वस्तु की कीमतें मांग-आपूर्ति असंतुलन के आधार पर उतार-चढ़ाव करती हैं।
- **लागत-पुश मुद्रास्फीति:** कच्चे माल, ऊर्जा इनपुट या श्रम की बढ़ती लागत के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि, जो कुल उत्पादन लागत को बढ़ाती है।
- **मांग-पुल मुद्रास्फीति:** मूल्य स्तर में वृद्धि तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग कुल उत्पादक क्षमता से आगे निकल जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** जमाखोरी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** व्यापक आर्थिक झटकों के दौरान प्रतिचक्रीय शुल्क समायोजन के लिए जगह छोड़ते हुए राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
- **संवैधानिक आधार:**
 - **सातवीं अनुसूची (संघ सूची):** प्रविष्टि 83 (सीमा शुल्क) और प्रविष्टि 84 (पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क) मूल्य स्थिरीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कर लेवर पर संसद को विधायी शक्ति प्रदान करते हैं।
 - **सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची):** प्रविष्टि 33 खाद्य उत्पादों और कच्चे माल के व्यापार और वाणिज्य, और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है।
 - **अनुच्छेद 38 (DPSP):** बुनियादी वस्तुओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करके असमानताओं को कम करने और सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश देता है।

निष्कर्ष

भारत का हालिया मुद्रास्फीति का उछाल ऊर्जा आयात और जलवायु-निर्भर कृषि में संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है। इन दबावों को संबोधित करने के लिए शुद्ध मौद्रिक कसौटी से हटकर संरचनात्मक राजकोषीय उपायों की आवश्यकता है, जिसमें प्रतिचक्रीय अप्रत्यक्ष कर समायोजन और दीर्घकालिक सिंचाई विकास शामिल हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (मुद्रास्फीति प्रबंधन, WPI बनाम CPI, लागत-पुश बनाम मांग-पुल मुद्रास्फीति, कृषि आपूर्ति श्रृंखला, और राजकोषीय नीति)।
- **जीएस पेपर II:** मूल्य स्थिरीकरण और आर्थिक प्रबंधन के लिए सरकारी नीति हस्तक्षेप।

Dream | Dare | Deliver

JULY 21, 2026

